रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 <u>REGD. No. D. L.-33004/99</u>



सी.जी.-डी.एल.-अ.-05072023-247026 CG-DL-E-05072023-247026

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1 PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 169] No. 169] नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 4, 2023/आषाढ़ 13, 1945 NEW DELHI, TUESDAY, JULY 4, 2023/ASHADHA 13, 1945

विद्युत मंत्रालय

संकल्प

नई दिल्ली, 4 जुलाई, 2023

पारेषण परियोजनाओं के विकास में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए दिशानिर्देश

संख्या 15/3/2018-ट्रांस-पार्ट(3).—विद्युत मंत्रालय के दिनांक 10.08.2021 के संकल्प संख्या 15/1/2017-ट्रांस द्वारा विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधानों के अंतर्गत पारेषण परियोजनाओं के विकास में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए दिशानिर्देश अधिसूचित किये गये थे।

इस संबंध में, उपर्युक्त दिशानिर्देशों के पैरा 15 को एतदद्वारा निम्नानुसार संशोधित किया गया है:

परियोजना निरूपण

मौजूदा पैरा	संशोधित पैरा
सर्वेक्षण रिपोर्ट तैयार करने का कार्य राष्ट्रीय पारेषण	राष्ट्रीय पारेषण समिति(एनसीटी) संबंधित बोली
समिति द्वारा सीटीयू और बीपीसी नाम की (एनसीटी)	प्रक्रिया समन्वयकों (बीपीसी) को पारेषणपरियोजनाओं की
एजेंसियों के बीच रोस्टर बनाकर आवंटित किया जाएगा।	सर्वेक्षण रिपोर्ट करने का कार्य आवंटित करेगी।
किसी भी पारेषण परियोजना के निष्पादन के तरीके के संबंध	
में वास्तविक निर्णय के बाद, संबंधित सर्वेक्षण रिपोर्ट, खर्च की	
प्रतिपूर्ति पर सर्वेक्षण के लिए एनसीटी द्वारा नामित एजेंसी से	
पारेषण परियोजना की बोली लगाने वाली एजेंसी द्वारा प्राप्त	
की जाएगी।	

[फा. सं.15/3/2018-ट्रांस-पार्ट(3)]

डॉ. साई बाबा दर्भमुल्ल, संयुक्त सचिव (ट्रांस)

4265 GI/2023 (1)

MINISTRY OF POWER

RESOLUTION

New Delhi, the 4th July, 2023

Guidelines for Encouraging Competition in Development of Transmission Projects

No. 15/3/2018-Trans-Part(3)- The Guidelines for Encouraging Competition in Development of Transmission Projects had been notified vide Ministry of Power Resolution No. 15/1/2017-Trans dated 10.08.2021, under the provisions of the Electricity Act, 2003.

In this regard, Para 15 of the above Guidelines is hereby amended as under:

PROJECT FORMULATION

Existing Para	Amended Para
The task of preparing survey report shall be	The NCT shall allocate the task of carrying out
allocated by National Committee on Transmission (NCT)	survey report of transmission projects to the respective Bid
by maintaining a roster amongst agencies namely CTU &	Process Coordinators (BPCs).
BPCs. After actual decision regarding the mode of	
execution of any transmission project, the relevant survey	
report shall be procured by the agency bidding out the	
transmission project from the agency nominated by NCT	
for survey upon reimbursement of the cost incurred.	

[F. No. 15/3/2018-Trans-Pt(3)]

Dr. SAI BABA DARBAMULLA, Jt. Secy. (Trans)